न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –16/2024 (आव.व.अधि)

जीसीएमएस नं0 2024/172

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

श्री पुरूषोत्तम मोदी पुत्र श्री सीताराम मोदी निवासी म.नं. 442 सावित्री किराना स्टोर के पांस बालिता मार्ग बापूनगर बापू कॉलोनी, कोटा ।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू तथा 03 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

निर्णय

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं

दिनांक–03.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्रीमति सन्ध्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 19.9.2024 के अनुसार जिला रसद अधिकारी कोटा के आदेश अनुसार जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों की रिफलिंग एवं संग्रहण तथा कालाबाजारी किये जाने संबंधी शिकायत की जांच करने हेतु दिनांक 27.09.2024 को आदेश की पालना में श्रीमति सन्ध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, हमराह, श्री कृष्ण कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री कमल प्रकाश मीणा, सहा0 प्रशासनिक अधिकारी, कुन्हाडी क्षेत्र में बालिता रोड पर बापू नगर बापू कॉलोनी में स्थित पुरषोत्तम मोदी पुत्र श्री सीताराम मोदी के मकान नं0 442 मौके पर पहुंचे । मौके पर कुन्हाडी क्षेत्र में बालिता रोड पर बापू कॉलोनी में श्री पुरषोत्तम मोदी पुत्र श्री सीताराम मोदी के मकान नं0 442 की उपस्थिति में उनके मकान का अवलोकन करने पर 05 घरेलु तथा 03 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर रखे पाये गये इस सम्बन्ध में श्री पुरषोत्तम मोदी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया । मौके पर पाई स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलूं गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाता है । इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैद्य लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया । मौके पर ही 05 घरेलु तथा 03 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 20080/– है । जब्तशुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

जिला कलेक्टर कोटा

2.

क्र. स.	सिलेण्डर का एस. आर कमांक	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरो का उपदर्शित भार/टेयर वेट किग्रा मे।	भौतिक सत्यापन पर सिलेंण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्रा में	गैस सिलेण्डर का प्रकार

1	079687	IOCL	19.0	19.5	38.0	18.5	व्यावसायिक
2	007776	BPCL	19.0	19.0	19.0	0	व्यावसायिक
3	869028	BPCL	19.0	19.2	21.0	1.8	व्यावसायिक
4	853579	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
5	146122	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
6	485553	HPCL	14.2	15.8	15.8	0	घरेलू
7	126775	HPCL	14.2	15.7	15.7	0	घरेलू
8	251540	HPCL	14.2	16.0	16.0	0	घरेलू

रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग जो कि ज्वलनशील एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक व जानलेवा है, गैर जिम्मेदाराना कृत्य कारित किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर उक्त 05 घरेलू तथा 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को मौके से जब्त कर मौके पर सुपुर्दगीनामा बनाकर सुविधा गैस एजेन्सी कोटा के प्रतिनिधि श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी 215 गणेश तालाब, दादाबाडी कोटा को लोकसुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । इस प्रकार श्री पुरषोत्तम पुत्र श्री सीताराम मोदी निवासी म0नं0 442 में बालिता रोड पर स्थित बापू नगर बापू कॉलोनी कुन्हाडी क्षैत्र में कोटा के द्वारा अवैध रूप से 05 घरेलु तथा 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड–3 (1)(ए (बी) व (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें ।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित । अप्रार्थी ने जवाब पेश किया । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।

4. पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि श्री पुरषोत्तंम पुत्र श्री सीताराम मोदी निवासी म0नं0 442 में बालिता रोड पर स्थित बापू नगर बापू कॉलोनी कुन्हाडी क्षैत्र में कोटा के द्वारा अवैध रूप से 05 घरेलु तथा 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड–3 (1)(ए (बी) व (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः अधिग्रहित 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं 03 व्यावसायिक मार्का के गैस सिलेण्डों को राजसात करने के आदेश फरमावें ।

5. अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 27.9.2024 को प्रार्थी के मकान नं0 442 बापू नगर बालीता रोड, कुन्हाडी कोटा पर स्थित मकान में कार्यवाही करते हुये तीन व्यवसायिक सिलेण्डर व पांच घरेलू सिलेण्डर जब्त किये गये । जब्ती के समय उपस्थित अधिकारी को कारण भी बता दिया गया था तथा उनको अवगत करा दिया था कि स्वयं के मकान में स्थित बर्तन की दुकान जिसमें गैस भट्टी चूल्हा रिपेयरिंग व बर्तन का व्यवसाय होता है तथा परिवार में जन्मदिवस के उपलक्ष में कार्यक्रम हो चुका था व उसके सभी दस्तावेजात को दिखाया गया किन्तु उन्होने किसी प्रकार का अवलोकन नहीं करते हुये उक्त सिलेण्डरों को जब्त कर लिया । उनमें से प्रार्थी के मकान में रह रहे किरायेदारों व पडोसी के व स्वयं के थे । उक्त जब्त किये गये सिलेण्डरों में 5 घरेलू सिलेण्डर थे जो खाली थे तथा तीन व्यवसायिक सिलेण्डर में दो खाली तथा एक सिलेण्डर भरा था जिसमें मात्र 18.5 किलो गैस थी । प्रार्थी ने किसी प्रकार से सिलेण्डरों को अथवा गैस को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है । इस प्रकार प्रार्थी ने किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य नहीं किया है । अतः जब्त किये गये गैस सिलेण्डरों को रिलीज कर प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर कार्यवाही को ड्रोप किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की वहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया, जिससे जाहिर होता है कि मौके पर कुन्हाडी क्षैत्र में बालिता रोड पर बापू नगर बापू कॉलोनी में श्री पुरषोत्तम मोदी पुत्र श्री सीताराम मोदी के मकान नं0 442 की उपस्थिति में उनके मकान का अवलोकन करने पर 05 घरेलु तथा 03 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर रखे पाये गये इस सम्बन्ध में श्री पुरषोत्तम मोदी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया । मौके पर पाई स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाता है । इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैद्य लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया इस प्रकार अप्रार्थी ने जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहरण एवं दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के खण्ड–3 (1)(ए .(बी) व (सी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रहरण कर दुरूपयोग किया जाना पाया गया है । प्रार्थी द्वारा उक्त 05 घरेलू तथा 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राजसात करने की प्रार्थना उचित है, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है ।

7. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों 03 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राजसात (Confiscat) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा